न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 97/2019 (2019/00217)

अपीलान्ट्स

बींजाराम पुत्र भल्लाराम, जाति जाट, निवासी गांव भाण्डू खुर्द, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. राजस्थान राज्य जरिये पटवारी, पटवार मण्डल भाचरणा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–अभिलेख निरीक्षक, धुंधाड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.07.2019 जो तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर द्वारा राजस्व मुकदमा प्रकरण संख्या 08/2019 बअनवान राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम बींजाराम में पारित किया गया।

————

उपस्थिति :–

अधिवक्ता श्री धनपत चौधरी (अपीलार्थीपक्ष)।

–: आदेश :– दिनांक :– **30.06.2023**

अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 04.07.2019 जो तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर द्वारा राजस्व मुकदमा प्रकरण संख्या 08/2019 बअनवान राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम बींजाराम में पारित किया गयागया, के विरूद्ध पेश की है।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार लूणी से तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलार्थी अभिभाषक की बहस दिनांक 26.06.2023 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री धनपत चौधरी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में प्रत्यर्थीगण मौके पर जाकर दिनांक 20.08.2019 को प्रार्थी के खेत में कार्यवाही की गई जिसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:44 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर दिनांक 02.09.2019 को प्राप्त हुई तत्पश्चात् अधिवक्ता के मार्फत माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो जानकारी की तारीख से अन्दर मियाद शुमार फरमावें।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि रेस्पो0 संख्या 01 ने एक रिपोर्ट पेश कर बतलाया कि अपीलान्ट ने ग्राम दुदिया के खसरा नं0 76 रकबा 0.07 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ता पर अतिक्रमण किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूणी द्वारा अप्रार्थी/अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमण करने के कारण लगान 0.15 का 50 गुणा 8/– रूपये के हिसाब से अर्थ दण्डित किया जाकर अतिक्रमण की गई भूमि में से तत्काल बेदखली का आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी को विधिवत् नोटित तामिल नहीं करवाए गए एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया ऐसी अवस्था में अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधिवत परीक्षण व परिशीलन किये बगैरा बिना किसी तर्क के निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलार्थी को जारी नोटिस दिनांक 04.07.2019 में नोटिस नहीं लेने से सम्बन्धित विधिवत् तामिल प्रक्रिया की पालना नहीं की गई और न ही उक्त नोटिस के संबंध में पत्रावली पर नोटिस तामिल करने के संबंध में चस्पागी रिपोर्ट की गई। ऐसी स्थित में विधिवत् नोटिस तामिल नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामिल पूर्ण मानकर अपीलान्ट/अप्रार्थी की अनुपस्थित में एकतरफा निर्णय पारित किया गया। बहस के अन्त में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया तथा अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी ने बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में प्रत्यर्थीगण मौके पर आकर दिनांक 20.08.2019 को प्रार्थी के खेत में कार्यवाही की गई जिसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर दिनांक 02.09.2019 को प्राप्त हुई तत्पश्चात् अधिवक्ता के मार्फत माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो जानकारी की तारीख से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर या किसी उद्देश्य विशेष की प्राप्ति हेतु देरी नहीं की है, इस कारण अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है वो क्षमा योग्य होने से अपील अन्दर मियाद शुमार [illegible] अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील [illegible] का अपीलार्थी के पास न्यायोचित कारण होने तथा प्रत्यर्थी द्वारा किसी [illegible] का कोई विरोध नहीं करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील का निस्तारण गुणावगुण पर इस प्रकार किया जा रहा है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि पटवार हल्का भाचरणा ने तहसीलदार लूणी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर बतलाया कि बींजाराम पुत्र भलाराम द्वारा खसरा संख्या 76 रकबा 0.07 बीघा गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। इसके आधार पर तहसीलदार लूणी ने प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज कर नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस की तामिली रिपोर्ट में लिखा गया कि '' अतिक्रमणकर्मी से सम्पर्क किया उसने नोटिस लेने से मना कर दिया तथा दो मौतबिरान के हस्ताक्षर के साथ–साथ पटवारी के भी हस्ताक्षर है। '' प्रथमतः हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी की मुख्य आपत्ति है कि अपीलार्थी को जारी नोटिस दिनांक 04.07.2019 में नोटिस नहीं लेने से सम्बन्धित विधिवत् तामिल प्रक्रिया की पालना नहीं की गई और न ही उक्त नोटिस के संबंध में पत्रावली पर नोटिस तामिल करने के संबंध में चस्पागी रिपोर्ट की गई। ऐसी स्थित में विधिवत् नोटिस तामिल नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामिल पूर्ण मानकर अपीलान्ट/अप्रार्थी की अनुपस्थित में एकतरफा निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी का उक्त कथन मानने योग्य है कि नोटिस विधिवत् तामिल नहीं हुआ। द्वितीयतः अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड की मौका फर्द दिनांक 20.08.2019 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना हो चुकी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2019 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:44 IST
Reason: SelfAttested